

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, प्रतापगढ़।

आदेश सं० 182

माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या 2178/XXXVII-CPC/eCourts Allahabad दिनांकित 17.09.2021 के प्रस्तर 1 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्गत पत्रांक 1983/LXXXVII-CPC/eCourts Allahabad दिनांकित 20.07.2021 के प्रस्तर 4 में दिये गये दिशा-निर्देश, जिसमें यह निर्देश प्राप्त हुआ था कि "जैसे न्यायालय/कार्यालय का कार्य पूर्ण हो, न्यायिक अधिकारीगण एवं न्यायालय कर्मी न्यायालय परिसर छोड़ कर जा सकते हैं " को वापस ले लिया गया है तथा प्रस्तर 2 द्वारा यह दिशा-निर्देश प्राप्त हुआ है कि माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक 1983/LXXXVII-CPC/eCourts Allahabad दिनांकित 20.07.2021 के प्रस्तर 4 में दिये गये दिशा-निर्देश को छोड़कर अन्य दिशा-निर्देश यथावत बने रहेंगे।
सर्वसम्बन्धित सूचित हों।


दिनांक: 17.09.2021

ह०/—
जनपद न्यायाधीश
प्रतापगढ़।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित—

1. जिलाधिकारी प्रतापगढ़।
2. पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़।
3. प्रभारी अधिकारी नज्दत को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रतापगढ़।
5. समस्त बार एसोसिएशन्स, जनपद न्यायालय, प्रतापगढ़।
6. जेल अधीक्षक, प्रतापगढ़।
7. नोडल अधिकारी कम्प्यूटर/सिस्टम ऑफिसर को जनपद न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
8. जिला सूचना अधिकारी, प्रतापगढ़ को समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
9. समस्त न्यायालय/कार्यालय, प्रतापगढ़ जजशिप।

दिनांक: 17.09.2021


प्रशासनिक अधिकारी
जनपद न्यायालय, प्रतापगढ़।